

FORM NO-III


फर्द अहकाम


(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

बीरबलराम बनाम तहसीलदार नीमकाथाना व अन्य

किस्म मुकदमा-अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/ 70

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2025	<p>पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने से आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी श्री बीरबल राम यादव ने प्रार्थना पत्र विद्धो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण इस अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील में विद्धो किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में अपील को विद्धो किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा पहचान पत्र को तस्दीक किया जाकर आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी स्वयं अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।</p>	


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
संभागीय आयुक्त
जयपुर